ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 11/23–24

प्रमोद कुमार जायसवाल बनाम् ब्रहमदेव कुंवर वगै0

17.11.2023

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रकिया आवेदक प्रमोद कु0 जायसवाल, पे0–स्व0 यमुना भगत, सा0–तेतरियामाल, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–तेतरियामाल नं0–163, जमाबंदी नं0–29, दाग नं0–18, 42, 43, 74, 130, कुल रकवा– 02–12–11 धूर भूमि से विपक्षीगण ब्रहमदेव कुंवर व अमरकांत कुंवर व प्रभुनाथ कुंवर व शिशुपाल कुंवर व धर्मपाल कुंवर, सभी पे0–स्व0 परमानंद कुंवर, अनिल मंडल, पे0–स्व0 गांगू मंडल, सुभाष मंडल, पे0–अशोक मंडल, झिगरी देवी बसंती देवी व शांति देवी व कमली देवी, सभी पे0–स्व0 गणेशी मंडल, दशरथ राय, पे0–निखराज राय, नारद राय, पे0–धरमरन राय, पुरूषोतम राय, पे0–घटेश्वर राय, भोला साह, पे0–संतलाल साह, पवन जायसवाल व शशि जायसवाल, दोनों पे0–स्व0 केदारनाथ जायसवाल, सभी सा0–तेतरियामाल, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक जमाबंदी नं0–29 की भूमि गत सर्वे खतियान में जमाबंदी रैयत राम औतार भगत वल्द बदरी भगत के नाम से दर्ज है, जिसके वंशज प्रथम पक्ष हैं। प्रथम पक्ष सरकारी सेवा में रहने व ईलाज कराने के कारण पटना में निवास कर रहे हैं। प्रथम पक्ष को ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि विपक्षीगण द्वारा प्रासंगिक भूमि पर अवैध रूप से घेराबंदी व कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि के पर्चा की छाया प्रति संलग्न कर विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई कागजात जमा नहीं किया गया है। साथ ही विपक्षीगण विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा पत्रांक–262/रा0, दिनांक–19.05.2023 से जांचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि विपक्षीगण द्वारा उनके दखल कब्जा वाले जमीन से संबंधित से कोई साक्ष्य/कागजात स्थल जांच के कम में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण का अवैध दखल है। अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षीगण को प्रासंगिक भूमि से उच्छेद किया जाता है। तदनुसार अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को सूचित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Deepak Kumar Singh
Adv
26/12/23

Uttam Kr Verma
Adv
26/12/23

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2024.01.06 11:48:46 +05:30
Location: 192.168.1.52

Scanned with OKEN Scanner